न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 20/2012

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
रामु पुत्र लाख जाति विश्नोई निवासी चितलवाना तहसील सांचोर जिला जालोर	1	कालू उर्फ काला पुत्र लाखा
	2	बगता पुत्र लाखा
	3	धना पुत्र लाखा के का0मु0
	3/1	देवा पुत्र धना
	3/2	गैरीदेवी बेवा धना जातिगण विश्नोई निवासीगण चितलवाना
	3/3	कमलादेवी पुत्री धना पत्नीर हरीराम जाति विश्नोई निवासी दुठवा तहसील सांचोर
	3/4	फीणा पुत्री धना पत्नी भीखाराम जाति विश्नोई निवासी सिवाडा तहसील सांचोर
	3/5	नेनु पुत्री धना पत्नी पाचाराम जाति विश्नोई निवासी सरनाऊ तहसील सांचोर
	3/6	पालुदेवी पुत्री धना पत्नी दीवाराम जाति विश्नोई निवासी गांवडी तहसील भीनमाल जिला जालोर
	4	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–
श्री सिकन्दर अली, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
श्री तिलोकचन्द मेहता, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक 8/6/18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहत सहायक कलेक्टर, सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2003 बअनवान कालुराम बनाम रामु वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2011 एवं 28.12.2011 तथा संशोधित डिक्री दिनांक 19.03.2012 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन मय अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में कथन किया कि ग्राम चितलवाना के पुराने खसरा नम्बर 2040, 2050, 2047 व 2049 कुल खसरा 4 जिसका कुल रकबा 130 बीघा 6 बिस्वा के वर्तमान खसरा नम्बर 3463 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3464 रकबा 5.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3465 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3466 रकबा 3.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3467 रकबा 2.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3479 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3480 रकबा 0.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3483 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3484 रकबा 1.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3485 रकबा 2.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3486 रकबा 0.86 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 3626 रकबा 2.10 हैक्टेयर की भूमि में रामू, कालुराम, वगता एवं धना का 1/4 – 1/4 हिस्सा निहित है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा बिना मौका जांच किए तथा पक्षकारान् को मौके पर बुलाए बिना ही मात्र कालुराम की ईच्छा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। इसके अतिरिक्त अन्तिम डिक्री पारित होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से उक्त डिक्री को मनमाने रूप से संशोधित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना किए बिना विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर उस पर अन्तिम डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.09.2011 को प्रस्तुत की गई है, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। प्राथमिक डिक्री में लिपिकीय त्रुटी होने के कारण उसे संशोधित किया गया, इसमें कोई विधिक अनियमितता नहीं है तथा जो हिस्सा प्रभावित हुआ है, वह धन्नाराम का हुआ है। अतः इससे पीडित धन्नाराम हो सकता है, रामू

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

इससे किसी भी रूप में प्रभावित नहीं है। विभाजन के मामले में रकबे में कमी–बेशी, खसरा नम्बर कब्जे अनुरूप नहीं दिया हो अथवा रास्ता नहीं दिया हो, इस प्रकार की आपत्तियां हो सकती है, जो हस्तगत प्रकरण में नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के जो आधार लिए है, वे कानूनन उचित नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट कालूराम द्वारा अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.11.2011 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए जैर अपील वादस्थ भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन किये जाने के तहसीलदार सांचोर को आदेश दिए गए। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर अपने पत्रांक/भू0अ0/प्रा0डि0/5816 दिनांक 21.12.2011 के जरिये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2011 को अन्तिम डिक्री पारित की गई। तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर मात्र अपीलाण्ट के हस्ताक्षर है तथा उक्त रिपोर्ट से यह भी कहीं स्पष्ट नहीं होता कि उक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को मौके पर उपस्थित होने हेतु कोई नोटिस अथवा सूचना दी हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में पारित डिक्री की पालना रिपोर्ट, जो तहसीलदार द्वारा मातहत अदालत को प्रेषित की गई है, का उक्त नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार सांचोर द्वारा जैर अपील प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में इन नियमों के विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। न्यायालय के आदेशानुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना था, किन्तु तहसीलदार द्वारा न तो भूमि का निरीक्षण किया गया तथा न ही नजरी नक्शा तैयार किया गया, मात्र पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव को अग्रेसित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें उपरोक्त नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई है तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इन तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसे किसी भी स्थिति में न्यायोचित नही माना जा सकता है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर, सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2003 बअनवान कालुराम बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रामु वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2011 एवं 28.12.2011 तथा संशोधित डिक्री दिनांक 19.03.2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पूर्व में जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.09.2011 के अनुक्रम में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर